538
24/09/22

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राँची (सामान्य/कल्याण/महिला)।

अति अल्पकालीन नामांकन की सूचना (Counseling)

निदेशालय पत्रांकः–1107, दिनांकः–08/09/2022 एवं 1047, दिनांकः–29/08/2022 के अनुपालन में झारखण्ड सरकार के NCVT अन्तर्गत संचालित व्यवसायों में सरकारी कोटा के बचे हुए रिक्त सीटों के विरूद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), (कल्याण) एवं (महिला), राँची में जिला स्तर पर उपायुक्त, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा शैक्षणिक सत्रः– 2022–23–24 में नामांकन लिया जाएगा। अंकित व्यवसायों में प्रवेश के निमित इच्छुक महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों से अनुसूचीः– "क" अनुसार हस्त लिखित/टंकित आवेदन पत्र दिनांकः–**28/09/2022**, **संध्या 05:00** बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। निदेशानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची में दिनांकः–**30/09/2022** को पूर्वाह्न 11:30 बजे नामांकन समिति की बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें सभी अभ्यर्थी नामांकन हेतु साक्षात्कार के लिए सभी वाँछित अभिलेखों के साथ निर्धारित स्थान **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान** (सामान्य), राँची में ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आवेदन फॉर्म संस्थान के वेबसाईट **https://iti.jharkhand.gov.in** अथवा संस्थान से प्राप्त किया जा सकता है।

1- **प्रवेश पाने हेतु DGT द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताः–**
(क) व्यवसाय Wireman, Plumber, Sewing Technology, Sheet Metal Worker, Welder & Masson (Building Constructor) के लिए शैक्षणिक योग्यता 8th class Passed अंक प्रमाण पत्र एवं शेष व्यवसायों के लिए 10th class Passed (Matric Passed) होना आवश्यक है।
(ख) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय निम्नांकित उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा।
(ग) 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 8वीं कक्षा स्तरीय व्यवसायों में भी नामांकन के पात्र होंगे।

2- **आयु अहर्ताः–**
(क) 01 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष (**मेकैनिक मोटर व्हीकल के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष है**) एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
(ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यामिक/10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि ही वैद्य होगी।

3- प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे।

4- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।

5- **आरक्षण आहर्त्ताः–**
आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांकः–14/आ०नी०–04–02/2019 का०–1434, दिनांकः–15/02/2019 के अनुसार रहेगा। मेरिट में चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणा–गुण कोटि के 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जायेगा।

6- एक–एक सीट दिव्यांग (चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण–पत्र) एवं भूतपूर्व सैनिकों (किसी भी वर्ग के लिए) के आश्रितों के लिए आरक्षित है।

7- EWS कोटि के अंतर्गत आरक्षण लाभ लेने हेतु झारखण्ड राज्य के अंचल या अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत आय एवं सम्पति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8- **SMQ (भूतपूर्व सैनिक) कोटा खाली रहने की स्थिति में पूर्व के नामांकित अभ्यर्थी भी मेधा–सह–इच्छा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं।**

9- सभी वांछित प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है।
*** वांछित प्रमाण पत्रों की सूचीः–**

I. मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र
II. मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र या जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र
III. आधार कार्ड
IV. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
V. आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र
VI. SLC/CLC
VII. Medical Fitness Certificate
VIII. Passport Size Colour Photo (06 nos.)
IX. अभ्यर्थी/उनके अभिभावक द्वारा एंटी रैगिंग शपथ पत्र

प्रशिक्षण अवधि समाप्ति के उपरान्त् सभी मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

10- नामांकन हेतु व्यवसायवार रिक्त सीटों की विवरणी

I. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची :–

S. No.	Trade (NCVT अन्तर्गत)	Duration	Vacant Details								
			GEN	Economically Poor Class	ST	SC	BC - I	BC -II	PH	SMQ	Total Vacant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Electrician	2 Years	0	4	0	0	0	0	1	1	6
2	Fitter	2 Years	0	5	0	0	0	0	3	1	9
3	Refrigeration & Air Conditioning Technician	2 Years	0	2	0	1	0	0	1	1	5
4	Wireman	2 Years	0	2	0	0	0	0	1	1	4
5	Draftsman (Civil)	2 Years	0	2	8	1	0	1	1	1	14
6	Surveyor	2 Years	0	1	4	1	0	0	1	1	8
7	Instrument Mechanic	2 Year	0	2	0	1	0	0	1	1	5
8	Turner	2 Years	0	5	0	1	0	0	3	1	10
9	Machinist	2 Years	0	4	0	1	0	0	1	1	7
10	Machinist (Grinder)	2 Years	0	2	0	1	0	0	1	1	5
11	Electronics Mechanic	2 Years	0	4	0	1	0	0	0	1	6
12	Technician Mechatronics	2 Years	0	2	6	1	0	1	1	1	12
13	Techinician Power Electronics System	2 Years	0	2	3	1	0	1	1	1	9
14	Foundryman	1 Year	14	5	17	02	1	1	2	1	43
15	Plumber	1 Year	0	5	4	1	0	0	2	1	13
16	Sheet Metal Worker	1 Year	6	2	7	1	1	0	1	1	19
17	Welder	1 Year	0	4	3	2	0	0	2	1	12
18	Physiotherapy Technician	1 Year	0	2	7	0	1	1	1	1	13
19	Mason [Building Constructor]	1 Year	0	2	6	0	0	0	1	1	10
20	Computer Hardware & Network Maintenance	1 Year	0	1	0	0	0	0	1	1	3
	Total		20	58	65	16	3	5	26	20	213

II. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (कल्याण), राँची :–

S. No.	Trade (NCVT अन्तर्गत)	Duration	Vacant Details								
			GEN	Economically Poor Class	ST	SC	BC - I	BC -II	PH	SMQ	Total Vacant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Electrician	2 Years	0	5	0	0	0	0	1	1	7
2	Fitter	2 Years	0	4	0	0	0	0	2	1	7
3	Wireman	2 Years	0	2	0	0	0	0	1	1	4
4	Turner	2 Years	0	2	0	0	0	0	1	1	4
5	Mechanic Motor Vehicle	2 Years	0	2	0	1	0	0	1	0	4
6	Draughtsman Mechanical	2 Years	0	2	3	1	1	0	1	1	9
7	Welder	1 Year	9	4	0	0	2	1	1	1	18
8	Mechanic Diesel	1 Year	0	1	0	1	0	0	0	1	3
9	Sheet Metal Worker	1 Year	2	2	7	1	1	0	1	1	15
	Total		11	24	10	4	4	1	9	8	71

III. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राँची :– (केवल महिलाओं के लिए)

S. No.	Trade (NCVT अन्तर्गत)	Duration	Vacant Details								
			GEN	Economically Poor Class	ST	SC	BC - I	BC -II	PH	SMQ	Total Vacant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sewing Technology	1 Year	2	4	10	2	2	0	2	1	23
2	Electronic Mechanic	2 Years	0	7	1	0	0	1	2	1	12
3	Information & Communication Technology System Maintenance (I&CTSM)	2 Years	1	2	5	1	1	1	1	0	12
4	Computer Operator and Programming Assistant (COPA)	1 Year	0	5	7	0	0	0	1	0	13
Total			3	18	23	3	3	2	6	2	60

IV. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हेहल, राँची (LWE) रिक्त सीटों की विवरणी:– (उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए)

S. No.	Trade (SCVT अन्तर्गत)	Duration	Vacant Details								
			GEN	Economically Poor Class	ST	SC	BC - I	BC -II	PH	SMQ	Total Vacant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Electrician (SCVT)	2 Years	7	2	5	0	1	1	1	1	18

11- आवासीय अहर्ता:– वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी है या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक:–7/आ०नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का०–3198/राँची, दिनांक:–18/04/2016 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12- जाति आधारित अहर्ता:– नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**अनुलग्नक के रूप में सभी प्रमाण पत्रों के अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ एक स्वपता लिखित लिफाफा समर्पित करना होगा।** अपना पूर्ण भरा आवेदन पत्र **संबंधित संस्थान** के पते पर हाथोंहाथ अथवा Whatsapp No. के माध्यम से PDF Format में आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र भेजने का पता एवं सम्पर्क सूत्र

क्र० सं०	संस्थान का नाम एवं पता	Whatsapp No.
1	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची, पो०–हेहल, जिला–राँची, झारखण्ड, पिन–834005	9905430597 / 7488183309
2	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (कल्याण), राँची, पो०–हेहल, जिला–राँची, झारखण्ड, पिन–834005	7903474488
3	प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राँची, पो०–हेहल, जिला–राँची, झारखण्ड, पिन–834005	9431395812

नोट:– 1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), (कल्याण) एवं महिला, राँची के लिए दिनांक:–22/09/2022 में कॉन्सेलिंग किये गये वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिनका व्यवसाय में चयन कर लिया गया है एवं किसी वाँछित अभिलेखों के नहीं रहने के कारण नामांकन नहीं हो पाया है, वैसे अभ्यर्थी दिनांक:–28/09/2022 तक सभी वाँछित अभिलेखों के साथ संस्थान प्राँगण में आकर नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे।

2. **व्यवसायवार/कोटिवार सीट मेरिट के अनुसार घट या बढ़ सकता है।**

Sd/-
प्राचार्य
औ० प्र० संस्थान, राँची (सा०/क०/महिला), राँची।
राँची, दिनांक:– 24/09/22

ज्ञापांक:– 538

प्रतिलिपि:– 1. उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/22
प्राचार्य
औ० प्र० संस्थान, राँची (सा०/क०/महिला), राँची।
24/09/22